कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002 E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्याः 22 पी 2(2) 4/2017 221 दिनांक : 24.11.17

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं० 202/1995 में दिनांक 05.10.2015 को पारित न्यायादेश में निहित निदेशों के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग) के संकल्प सं० का० आ० 3456 (अ) दिनांक 11.11.2016 एवं तदोपरान्त संशोधित संकल्प सं० का० आ० 3000 (अ) दिनांक11.09.2017 द्वारा संसूचित काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा–निदेश के आलोक में काष्ठ आधारित उद्योगों के विनियमन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 1055 दिनांक 09.03.2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक दिनांक 17.11.2017 में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वर्तमान में राज्य में प्रभावी बिहार आरा मिल (विनियमन) नियमावली, 1993 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) में विहित आवेदन प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन हेतु एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान में राज्य में प्रभावी बिहार आरा मिल (विनियमन) नियमावली, 1993 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) में विहित आवेदन प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रारूप बनाने के लिए एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1	श्री संजय कुमार सिन्हा, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग	–	अध्यक्ष
2	श्री विप्लव कुमार मिश्र, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची	–	सदस्य
3	प्रतिनिधि, झारखण्ड आरा मिल संगठन, रांची	–	सदस्य

उपरोक्त समिति प्रपत्रों के निर्धारण में यह ध्यान रखेगी कि आवेदन प्रपत्र का स्वरूप सरल हो जो भविष्य में Online आवेदन पत्र के रूप में भी व्यवहृत हो सके।

यह समिति 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करेगी जिसे राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक के समक्ष उपस्थापित किया जायगा।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 22 पी 2(2) 4/2017 दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री संजय कुमार सिन्हा, वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल/श्री विप्लव कुमार मिश्र, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/अध्यक्ष, झारखण्ड टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन, "पारिजात", 57, सर्कुलर रोड, राँची, झारखण्ड–834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– 22 पी 2(2) 4/2017 5138 दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का कोषांग/ Envis Cell का Website पर upload करने हेतु प्रेषित।